सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 21, सोमवार, *शाके* 1945-मार्च 11, 2024 *Phalguna 21, Monday , Saka 1945- March 11 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 07, 2024

संख्या: 08/भू.अ./ज.स./2023/281-285 :- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Dewas-III & IV Dams for additional water for UWSS Udaipur के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, मोहनलाल सुखाडिया (देवास), जल अपवर्तन खण्ड, उदयपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(G) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा सबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

<u>विवरण</u>

अधिशाषी अभियन्ता, मोहनलाल सुखाडिया (देवास), जल अपवर्तन खण्ड, उदयपुर के अन्तर्गत Construction of Dewas-III & IV Dams for additional water for UWSS Udaipur हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	Construction of Dewas-III & IV Dams for additional	नाल	नाल	गोगुन्दा	उदयपुर	उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
		नाथियाथाल	नाल			

	water for UWSS Udaipur	मोरवल	मोरवल			
		देलवास मोरवल	मोरवल			
		उण्डीथल	छाली			
		नयावास	अम्बावा			
		अम्बावा	अम्बावा			
		पाटिया	अम्बावा			
		पाडलो का चौराह	पाडलो का चौराह			

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

क्र. स.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता मोहनलाल सुखाडिया (देवास) जल अपवर्तन खण्ड उदयपुर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति हेतु देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांधों का निर्माण तहसील गोगुन्दा उदयपुर योजनान्तर्गत कुल 133.13 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दें।	परामर्श सर्वेक्षण सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार

	समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता मोहनलाल सुखाडिया (देवास) जल अपवर्तन खण्ड उदयपुर

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।